## न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
**अध्यक्ष**

निगरानी प्रकरण क्रमांक 2307–पीबीआर/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 27–6–15 पारित द्वारा आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर प्रकरण क्रमांक 80/14–15/अपील.

---

मेसर्स ग्वालियर एक्सप्लोसिव प्रायवेट लिमिटेड
द्वारा डायरेक्टर नासिर खान पुत्र हाफिज खान
निवासी होटल सेंट्रल पार्क के सामने
सिटी सेन्टर, ग्वालियर .....आवेदक

**विरूद्ध**

1– वनसंरक्षक, सामान्य वन मण्डल, ग्वालियर
2– उप वनमंडलाधिकारी, उप वनमण्डल घाटीगांव
जिला ग्वालियर .....अनावेदकगण

---

श्री एस0के0 बाजपेयी, अभिभाषक, आवेदक
श्री डी0के0 शुक्ला, अभिभाषक, अनावेदकगण

---

**:: आ दे श ::**

**(आज दिनांक 5/10/16 को पारित)**

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–6–15 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तहसीलदार, घाटीगांव द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, घाटीगांव जिला ग्वालियर को इस आशय का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया कि आवेदक मेसर्स ग्वालियर एक्सप्लोसिव प्रायवेट लिमिटेड द्वारा ग्राम डेन राजस्व निरीक्षक वृत रेहट तहसील घाटीगांव में मेगजीन (बारूद रखने का स्थान) का काम किया जा रहा है । वन विभाग द्वारा उक्त स्थान को उनका बताते हुए कार्य रोका जा रहा है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रतिवेदन कलेक्टर, जिला ग्वालियर के समक्ष प्रेषित किया गया । कलेक्टर

द्वारा प्रकरण कमांक 140/14–15/बी–121 दर्ज कर दिनांक 9–2–15 को आदेश पारित करते हुए आवेदक द्वारा किये जा रहे कार्य को यथावत जारी रखते हुए प्रकरण समाप्त किया गया । कलेक्टर के आदेश से व्यथित होकर अनावेदकगण द्वारा संहिता की धारा 44 (3) के अंतर्गत आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई । आयुक्त द्वारा दिनांक 27–6–15 को आदेश पारित किया जाकर कलेक्टर का आदेश निरस्त करते हुए प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि अनावेदकगण द्वारा अपील मेमों में उठाये गये बिन्दुओं एवं प्रस्तुत दस्तावेज तथा आवेदक द्वारा प्रत्युत्तर में बताये गये तथ्यों पर विचार करते हुए समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए बोलता हुआ आदेश पारित कर प्रकरण का विधिवत निराकरण किया जाये । आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक को एक्सप्लोसिव एक्ट तथा रूल्स के अंतर्गत बारूद रखने का स्थान (मेगजीन) स्थापित करने के लिए अनुमति प्रदान की गई थी, अतः ऐसे आदेश के विरूद्ध अपील सुनने का क्षेत्राधिकार आयुक्त को नहीं है । यह भी कहा गया, कि अनावेदकगण की ओर से आयुक्त के समक्ष संहिता की धारा 44 (3) के अंतर्गत अपील प्रस्तुत की गई है, जबकि संहिता की धारा 44 (3) में पुनर्विलोकन आवेदन पत्र निरस्त किये जाने के आदेश की विरूद्ध अपील प्रस्तुत किए जाने का प्रावधान है । ऐसी स्थिति में आयुक्त द्वारा विधि विरूद्ध प्रस्तुत अपील में आदेश पारित करने में त्रुटि की गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि ग्राम डेन की प्रश्नाधीन भूमि वर्ष 1940 में हुए बंदोबस्त के समय से राजस्व विभाग के अंतर्गत चली आ रही है, और बंदोबस्त की प्रविष्टियों को वन विभाग द्वारा कभी भी चुनौती नहीं दी गई है । इस आधार पर कहा गया कि प्रश्नाधीन भूमि वन विभाग के अधिकार में नहीं है, और अनावेदकगण द्वारा यह प्रमाणित नहीं किया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि वन क्षेत्र की भूमि है । तर्क में यह भी कहा गया कि वन अधिनियम के प्रावधान उसी भूमि पर लागू होते हैं, जो कि राजस्व विभाग के अंतर्गत नहीं आती है, अतः प्रश्नाधीन भूमि पर वन अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते हैं । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि आयुक्त द्वारा प्रकरण प्रत्यावर्तित करने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है, क्योंकि प्रकरण

में अभिकथन, लेखी साक्ष्य उपलब्ध थी, तब उन्हें प्रकरण का निराकरण गुण–दोष पर करना चाहिए था ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधारा उठाये गये हैं :–

(1) संवत् 1996 के खसरे की प्रविष्टि के अनुसार प्रश्नाधीन भूमि वन रक्षित भूमि है, और उक्त भूमि पर आवेदक का कोई स्वत्व अथवा अधिकार नहीं है ।

(2) प्रकरण में किये गये निरीक्षण में भी प्रश्नाधीन भूमि वन विभाग की भूमि पाई गई है, और वर्ष 1910 दिनांक 5–1–1910 रियासत काल से जारी गजट में ग्राम डेन की प्रश्नाधीन भूमि वन भूमि के रूप में अधिसूचित है ।

(3) श्री ए.बी. गुप्ता की कार्य योजना के अंतर्गत तैयार किए गए वन मानचित्रों में भी उक्त क्षेत्र वन खण्ड रेहट के पुराना कक्ष कमांक 497 एवं नवीन कक्ष कमांक 216 के अंतर्गत आता है, इसलिए वन अधिनियम के प्रावधान प्रभावशील होंगे ।

(4) अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुतु दस्तावेजों से प्रश्नाधीन भूमि वन विभाग की होना सिद्ध है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि आयुक्त द्वारा वन विभाग की आपत्ति पर कलेक्टर को प्रशासनिक निर्देश दिये गये हैं । इस प्रकार यह प्रकरण प्रशासनिक प्रकृति का है, केवल आयुक्त द्वारा संहिता की धारा का उल्लेख कर देने मात्र से यह प्रकरण संहिता के अंतर्गत मान्य किया जाकर ग्राह्य योग्य नहीं है, क्योंकि प्रशासनिक प्रकिया में दिये गये निर्देशों पर राजस्व मण्डल द्वारा विचार किया जाना संहिता के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है । इस प्रकरण में यह विधिक आवश्यकता है कि बिना निगरानी में हस्तक्षेप किये आयुक्त को निर्देश दिया जाये कि वे भविष्य में प्रशासनिक कार्यवाही से संबंधित प्रकरण को संहिता के तहत दर्ज नहीं करें ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर